

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-.....1763.....

सेवा में,

श्री राम विनोद सिंह
ग्राम-भान बोरहान, जंदाहा
जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-.....12/08/16.....

विषय:- साक्ष्य एवं मूल शपथ पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आपके द्वारा श्री मुकेश कुमार, प्रखंड शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिर्जानगर मुकरी, महुआ के विरुद्ध हाजिरी बनकर कभी कोर्ट में तो कभी कृषि कार्य के लिए फरार रहने शिकायत दर्ज कराया गया है।

प्राप्त शिकायत के आलोक में शिकायत में वर्णित की तिथि का ई-शिक्षाकोष पर दर्ज डिजिटल उपस्थिति की जांच की गई। जांच में पाया गया कि वर्णित तिथि में एक दिन छोड़कर सभी तिथि की उपस्थिति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक-3/एम-7/2005 का०-945 दिनांक-26.06.2005 की कंडिका-4 (6) में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर साक्ष्य एवं शपथ पत्र (प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा) उपलब्ध करावें कि आपके मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देने को तैयार है। निर्धारित अवधि (एक पक्ष) के अन्दर पर्याप्त साक्ष्य एवं मूल शपथ-पत्र समिति को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक-3/एम-7/2005 का०-945 दिनांक-26.06.2005 की कंडिका-4(6) में निहित प्रावधान के आलोक में आपका परिवाद पत्र नियमानुसार संचिकास्त कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

12.8.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
12/8/16